(नियम 26)

आज अदालत _____ मुकाम : राशमी

_____ बनाम _____

किस्म मुकदमा _____ नं. _____ सन् _____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दौरा कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ..... दिनांक ..... को पेश हो।	
	दि.11.7.22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया के जारी समस्त वाद अब मूल वाद में एकीकृत है। प्रार्थिया की ओर से कोई साक्ष्य नहीं। न ही स्थगन आवेदन। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 312 दण्ड संहिता 1973 का अब पत्रावली अब धारा में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निष्पादित इन्द्राज की जाकर वाद उपयुक्त कार्यवाही अग्रिम सुनवाई अब जाव निर्णय मूल न्यायालय में लिखायी जाकर छुटकारा हो। (नीता वसीटा) सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी 27/07/22	

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:46:18 IST
Reason: SelfAttested